भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र/ Regional Headquarters Eastern Region

क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र के अधीनस्थ बिलासपुर हवाईअड्डे हेतु सेवानिवृत्त (भारतीय वायु सेना/भारतीय थल सेना/ भारतीय नौ सेना/ पीएसयू/भाविप्रा) कार्मिकों की परामार्शदाता/ कनिष्ठ परामर्शदाता(सीएनएस) के रूप में नियुक्ति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र द्वारा योग्यता कॉलम में दिए विवरण अनुसार प्रणाली/इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के रखरखाव व संभालने का अनुभव रखने वाले भारतीय वायु सेना (आईएएफ), भारतीय थल सेना, भारतीय नौ सेना, पीएसयू, भाविप्रा (सेवानिवृत्त सीएनएस कार्मिक) के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पूर्वी क्षेत्र के अधीनस्थ बिलासपुर हवाईअड्डे में एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतया अनुबंध आधार पर परामर्शदाता/कनिष्ठ परामर्शदाता (सीएनएस) के रूप में नियुक्त करने हेतु अपेक्षा की गई है।

पात्रता एवं योग्यता

क्रम सं	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक (सर्व समाहित)	पात्रता
01	परामर्शदाता	रु. 75000/-	संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव रखने वाले ई7/ई6 स्तर के पीएसयू/भाविप्रा के सेवानिवृत्त कार्मिक तथा भा.वा.से/भारतीय थल सेना/ भारतीय नौ सेना के समकक्ष सेवानिवृत्त कार्मिक।
02	कनिष्ठ परामर्शदाता	रु. 50000/-	संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष के अनुभव रखने वाले ई5/ई4/ई3 स्तर के पीएसयू/भाविप्रा के सेवानिवृत्त कार्मिक तथा भा.वा.से/भारतीय थल सेना/ भारतीय नौ सेना के समकक्ष सेवानिवृत्त कार्मिक।

वांछित योग्यता, कार्य का दायरा, पात्रता, नियुक्ति की सेवा अवधि तथा परामर्शदाता द्वारा निष्पादन किए जाने वाले अन्य विवरण निम्नानुसार है-

पदनाम	अनंतिम पदों की संख्या	वांछित योग्यता	स्थान
परामर्शदाता	01	आवेदक को उपर्युक्त अनुसार निर्धारित वर्ष तक का वीएचएफ उपकरण(टीएक्स/आरएक्स), मेनपैक प्रणाली, डीवीआर प्रणाली, ईपीएबीएक्स, एक्स बिस(आरबी व एचबी), डीएफएमडी, सीसीटीवी, एफआईडीएस, एनडीबी, डीवीओआर, एडीएस-बी, एलएएन, डब्ल्यूएएन, एमपीएलएस के रख-रखाव व प्रचालन करने का अनुभव होना चाहिए।	बिलासपुर
कनिष्ठ परामर्शदाता	01		

पात्रता

2.1 सेवानिवृत्त कार्मिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए व उनकी आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.2 सेवानिवृत्ति के बाद एक माह की कूलिंग अवधि आवश्यक है।

2.3 सेवानिवृत्ति के समय पात्र उम्मीदवार के विरुद्ध कोई सतर्कता/ अनुशासनात्मक कार्रवाई न हो। आवेदक को इस आशय का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

2.4 पात्र उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इस आशय का स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र आवेदक को देना होगा ।

2.5 आवेदक को नोटिस देने के अल्पावधि में ही कार्यभार ग्रहण करना होगा।

नियुक्ति की अवधि

3.1 परामर्शदाता के नियुक्ति की अवधि 01 वर्ष की होगी जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

3.2 परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी तथा उन्हें परामर्शदाता के पद पर कार्यरत रहते हुए कहीं और कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.4 सेवा अवधि के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और परामर्शदाता दोनों ही एक माह की नोटिस अवधि अथवा नोटिस अवधि के बदले एक माह का पारिश्रमिक देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकते हैं/ सेवा समाप्त कर सकते हैं।

किए जाने वाले कार्यों का विवरण

4.1 दिन-प्रतिदिन आधार पर हवाईअड्डों में समस्त सीएनएस/एएस सुविधाओं को प्रचालन में रखने व रख-रखाव से संबंधित सेवाएं प्रदान करना।

4.2 एससीएआरएस के अनुसार निवारण रख-रखाव अनुसूची(दैनिक, साप्ताहिक, मासिक) का अनुरक्षण करना।

4.3 क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता एवं भाविप्रा, रांची(विमानपत्तन निदेशक/सीएनएस प्रभारी) के उच्चाधिकारियों के साथ प्रचालन/प्रशासनिक आवश्यकताओं हेतु समन्वय बनाए रखना।

4.4 किसी भी प्रकार की खराबी/अनचाही घटना होने पर क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र को तुरंत सूचित करना।

4.5 सीएनएस/एएस के समस्त संस्थापित उपकरणों को अच्छी हालत में रखने हेतु वेन्डर/ओईएम के साथ संपर्क बनाए रखना।

4.6 सामान सूची प्रबंधन करना व अन्य समस्त रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना।

उपस्थिति व अवकाश

5.1 परामर्शदाता को नियुक्ति के स्थान पर रिपोर्ट करने हेतु प्रतिदिन अपनी बायोमेट्रिक/ मैनुअल उपस्थिति को भा.वि.प्रा. कार्मिकों की उपस्थिति प्रणाली में चिह्नित करना होगा।

5.2 परामर्शदाता यथानुपात के आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे ।

5.3 अत: एक वर्ष में 12 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में परामर्शदाता को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा (यथानुपात के आधार पर गणना)।

5.4 एक कैलेंडर वर्ष में न ली गई छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में नहीं गिना जाएगा तथा संविदा अवधि के अंत में भुनाया भी नहीं जा सकेगा।

5.5 अवकाश और अनुमेय अवकाश के अलावा अन्य तिथियों में अनुपस्थित रहने पर परामर्श शुल्क से आनुपातिक भुगतान काट लिया जाएगा।

5.6 कार्य निष्पादन नहीं करने /असंतोषजनक सेवा प्रदान करने की स्थिति के अलावा एक कैलेंडर वर्ष में निर्धारित अवकाश के उपरांत भी 15 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उनकी सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

चयन मानदंड

6.1 भाविप्रा वेबसाइट में दिए गए विज्ञापन के माध्यम से सेवानिवृत्त भाविप्रा कार्मिकों को परामर्शदाता के रूप में चयन प्रक्रिया के अंतर्गत क्षेत्रीय मुख्यालय, कोलकाता द्वारा लिए गए साक्षात्कार (व्यक्तिगत साक्षात्कार/वीसी के माध्यम से साक्षात्कार) के उपरांत नियुक्त किया जाएगा।

6.2 परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी तथा उन्हें परामर्शदाता के पद पर कार्यरत रहते हुए कहीं और कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.3 किसी भी स्पष्टीकरण दिए बिना भाविप्रा, क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्वी क्षेत्र को किसी भी स्तर पर इस विज्ञापन को रद्द करने का तथा इस मामले में आगे न बढ़ने का, किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र(अनुलग्नक- I) में भरकर दिनांक 03 सितंबर, 2021 तक ईमेल - recttceller@aai.aero में भेजें।

नोट: इस विज्ञापन के अनुदित पाठ में अर्थ की दृष्टि से किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को अधिकृत माना जाएगा।

अनुलग्नक -I

आवेदन कैसे करें ?
जो व्यक्ति कार्य के दायरे और नियमों तथा शर्तों और अन्य विवरणों के पात्रता शर्तों को पूरा करते हों, वे नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं:

आवेदन प्रपत्र

हाल ही के स्व-सत्यापित फ़ोटो

(i) नाम: ....

(ii) जन्मतिथि : ....

(iii) सेवानिवृत्त तिथि : ....

(iv) सेवानिवृत्त पर धारित पद : ....

(v) पत्राचार हेतु पता : ---

(vi) दूरभाष संख्या : लैंडलाइन ------------------- मोबाइल--------------------

(vii) ई-मेल आईडी: --

(viii) शैक्षणिक योग्यता (उल्टे क्रम में नवीनतम से शुरू) :-

क्र. सं.	डिग्री	वर्ष		स्ट्रीम/विषय	विश्वविद्यालय	स्थान/ वर्ग विशेष स्थान(यदि कोई हो)
		से	तक			

(ix) प्रासंगिक अनुभव:

(a) नियोक्ता, धारित पद और वेतनमान सहित पिछले 10 वर्षों के दौरान समान प्रकृति के वर्ष-वार किए गए कार्य / विशिष्टिता संबंधी समस्त विवरण ।

क्रम सं	संगठन	धारित पद मूल वेतन सहित	वर्ष		संभाला गया दायित्व	अभ्युक्ति
			से	तक		

(b) प्रपत्र के साथ पिछले नियोक्ता से प्राप्त सतर्कता/ अनुशासनिक अनापत्ति संबंधी प्रमाणपत्र एवं अंतिम वेतन प्रमाणपत्र संलग्न है ।

स्थान :…………….

तिथि : ……………………..

हस्ताक्षर:......................

नाम : ………………...

अस्वीकरण:

आवेदक द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य एवं सही है। बाद में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर कार्य हेतु किया गया करार/अनुबंध रद्द किया जा सकता है।